आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

बिन्दु कुमार वर्मा, पिता-नन्द किशोर वर्मा, ग्राम-ओकनी-2, थाना+जिला-हजारीबाग हाल मोकाम कानी बाजार, सरस्वती शिशु मंदिर, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-हजारी, थाना नं0-141, खाता संख्या-58, प्लॉट संख्या-376, रकवा-08 डी0 भूमि धर्मेन्द्र वर्मा, पिता-स्व0 किशोरी राम, ग्राम-लोहार टोली, ओकनी मुहल्ला, थाना-सदर हाल थाना-लोहसिंघना, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 233/2022 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता धर्मेन्द्र वर्मा एवं विक्रेता बिन्दु कुमार वर्मा पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा लगभग 24 डी0 भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं मो0 रमनी वगै0 के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक को केवाला से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 136/VIII पर स्वयं के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है। प्रतिवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा भी संलग्न किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता बिन्दु कुमार वर्मा का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2018/57236 दिनांक-13.02.2018 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2017/373016 दिनांक- 01.05.2017 और क्रेता धर्मेन्द्र वर्मा का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2019/90182 दिनांक-15.05.2019 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे कार्रव टिप्पणी
1	2	
	प्रमाण–पत्र संख्या JHCC/2019/106053 दिनांक–01.04.2019 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर, ग्राम–हजारी, थाना नं0–141, खाता संख्या–58, प्लॉट संख्या–376, रकवा–08 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 16/9/22 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 16/9/22 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.16 15:25:57 +05:30
Location: 192.168.100.2